

अनुमति की शर्तें ।

- (i) भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध करनी करनी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मन्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत गिरस्त की जा सकती है ।

फ्लैट छिडकी भवन निर्माण केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 767 दिनांक 12/11/2020
 प्रार्थिका श्रीमती हेम कौंवर जी नरपट सिंह
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-441 सेक्टर-11 वी सरस्वती नगर
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7,500/- [7500]
 जरिये रसीद संख्या 9062/2174/2135
 दिनांक 12/11/2020 को जमा करा दी है ।

[Signature]
 13/11/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

[Signature]
 9825043917

श्री +1
 नवप्रौद्योगिकी